न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–204 / 2023
GCMS NO:- 2023/319

दायर दिनांक: 28.07.2023
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. कल्याण आ जयलाल जाति बैरवॉ नि0 मोडसा तहसील नैनवॉ।
2. रामनारायण आ0 गेन्दीलाल जाति बैरवॉ नि0 मोडसा तहसील नैनवॉ। (मृतक)
   2/1. कजोडी पत्नी स्व. रामनारायण जाति बैरवॉ नि0 मोडसा तहसील नैनवॉ।
   2/2. प्रेमशंकर आ0 स्व. रामनारायण जाति बैरवॉ नि0 मोडसा तहसील नैनवॉ।
   2/3. मुकेश आ0 स्व. रामनारायण जाति बैरवॉ नि0 मोडसा तहसील नैनवॉ।
   2/4. राकेश आ0 स्व. रामनारायण जाति बैरवॉ नि0 मोडसा तहसील नैनवॉ।
3. रामचरण आ0 कान्हा जाति बैरवॉ नि0 मोडसा तहसील नैनवॉ।
4. रामहेत आ0 कान्हा जाति बैरवॉ नि0 मोडसा तहसील नैनवॉ।
5. रामफूल आ0 कान्हा जाति बैरवॉ नि0 मोडसा तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. **मोहनलाल आ0 दल्ला जाति बैरवॉ नि0 मोडसा तहसील नैनवॉ। (अपीलार्थी)**
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा।
अप्रार्थी संख्या 1/अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया।

निर्णय दिनांक 31.07.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम मोडसा तहसील नैनवॉ मे प्रार्थीगण के खाते कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1165 स्थित है जो प्रार्थी कल्याण, रामहेत, रामचरण, रामफूल के हिस्से मे आपसी भाई बंटवारा मे आई भूमि है। प्रार्थी रामनारायण के खाते व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 699 व 700 है।

प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 1165 मे जाने के लिए एक रास्ता जो ग्राम मोडसा की बैरवा बस्ती से प्रत्यार्थी मोहनलाल की भूमि खसरा नम्बर 698 मे होकर सरकारी दर्ज रास्ते मे जो बैरवॉ बस्ती से हांपोलाई जाता है, से मिल जाता है जो आगे प्रार्थी रामनारायण के खाते कब्जे की जमीन खसरा नम्बर 699 के कोने पर होकर सरकारी रास्ते मे होकर जाता है, पर से रास्ता चाहा गया था जिस क्रम मे पूर्व मे इस न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाकर दिनांक 01.11.2021 को निर्णय पारित कर खसरा नम्बर 698 मे से रास्ता दिये जाने बाबत् आदेश जारी किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 मोहनलाल द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के यहां अपील संख्या 2022/41 पेश की जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.06.2023 को निर्णय पारित कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.11.2021 निरस्त कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के निर्णय दिनांक 16.06.2023 की पालना मे प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा व अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ती मौका रिपोर्ट दिनांक 26.6.2025, प्रार्थना पत्र वास्ते अबेट फरमाये जाने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी एवं फर्द दस्तावेजों की सूची पेश की। उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों की प्रति प्रार्थीगण अधिवक्ता को दिलायी गयी। हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 1165 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ